भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-351
उत्तर देने की तारीख-05/02/2024

पीएम श्री स्कूल

†351. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) को मंजूरी दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का विचार देश भर में पीएम श्री स्कूलों का विकास करने का है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और
(घ) पीएम श्री स्कूलों के कार्यकरण के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) नामक एक नई केंद्र प्रायोजित योजना को दिनांक 7 सितंबर, 2022 को मंजूरी दी है। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन का प्रदर्शन करेंगे और समय के साथ अनुकरणीय स्कूलों के रूप में उभरेंगे, और पड़ोस के अन्य स्कूलों को भी नेतृत्व प्रदान करेंगे। वे एक ऐसे समान, समावेशी और आनंदपूर्ण स्कूल परिवेश में उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने में अपने अपने क्षेत्रों की अगुआई करेंगे जो बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं पर ध्यान देता है और उन्हें एनईपी 2020 की दृष्टि के अनुसार अपनी स्वयं की अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाता है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके 14500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों की स्थापना किए जाने का प्रावधान है। पीएम श्री स्कूलों के चयन के पहले चरण में, केवीएस/एनवीएस के साथ 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 6207 स्कूलों का चयन किया गया था। पीएम श्री योजना के तहत चयन के पहले चरण में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों/केविसं/नविस-वार चयनित स्कूलों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

पीएम-श्री स्कूलों का चयन चुनौती पद्धति के माध्यम से होता है, जिसमें स्कूल अनुकरणीय स्कूल बनने के लिए सहयोग हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं। निश्चित समय-सीमा के साथ त्रि-स्तरीय चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

चरण-1: पीएम-श्री स्कूलों के रूप में निर्दिष्ट गुणवत्ता आश्वासन प्राप्त करने के लिए इन स्कूलों को सहयोग करने हेतु प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करने के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे।

चरण-2: इस चरण में, पीएम-श्री स्कूलों के रूप में चुने जाने के योग्य स्कूलों के एक पूल की पहचान यूडाइज़+ डेटा के माध्यम से निर्धारित न्यूनतम बेंचमार्क के आधार पर की जाएगी।

चरण-3: यह चरण निश्चित मानदंडों को पूरा करने के लिए चुनौती पद्धति पर आधारित है। केवल उपरोक्त पात्र पूल के स्कूल ही चुनौती की शर्तों को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। शर्तों के पूरा करने की प्रमाणिकता राज्यों/केविसं/जनवि द्वारा वास्तविक निरीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठक में केविसं/एनवीएस के साथ 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 6207 पीएम-श्री स्कूलों के लिए कुल 3395.16 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय भाग के रूप में 2520.46 करोड़ और राज्य भाग के रूप में 874.70 करोड़ रुपए शामिल हैं। योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केविसं/एनवीएस को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पहली किस्त के रूप में 630.11 करोड़ रुपये का केंद्रीय भाग जारी किया गया है।

****

अनुलग्नक-I

माननीय संसद सदस्या श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा "**पीएम श्री स्कूल**" के संबंध में दिनांक 05.02.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 351 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएम श्री योजना के तहत चयन के पहले चरण में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केविसं/नविस-वार चयनित स्कूलों का विवरण:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चयनित पीएम श्री स्कूल
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	10
2	आंध्र प्रदेश	662
3	अरुणाचल प्रदेश	41
4	असम	266
5	चंडीगढ़	1
6	छत्तीसगढ़	211
7	डीएनडी-डीएनएच	6
8	गोवा	12
9	गुजरात	274
10	हरियाणा	124
11	जम्मू और कश्मीर	233
12	कर्नाटक	129
13	लद्दाख	14
14	लक्षद्वीप	8
15	मध्य प्रदेश	416
16	महाराष्ट्र	516
17	मणिपुर	69
18	मेघालय	22
19	मिजोरम	22
20	नगालैंड	9
21	पुदुचेरी	8
22	राजस्थान	402
23	सिक्किम	30
24	तेलंगाना	543
25	त्रिपुरा	57
26	उत्तराखंड	142
27	उत्तर प्रदेश	928
28	केवीएस	735
29	एनवीएस	317
	कुल	6207

नोट- 7 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (बिहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, पंजाब और पश्चिम बंगाल) भारत सरकार से निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद इस योजना का लाभ उठाने के लिए वर्तमान में पंजीकृत नहीं हैं।

****